प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,
704, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 1801 /म0शि0परि0–मद0शुल्कसंरचना/2021 दिनांक 04/02/2021

विषयः उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के अधीन मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों में शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा अपने पत्र संख्या 3348 दिनांक 15.01.2021 के माध्यम से मदरसों में नियमानुसार शुल्क संरचना अनुमोदित किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में मदरसों के विभिन्न शिक्षक संघों तथा माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी पत्र लिखकर शुल्क विनियमन के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि **"उ0प्र0 अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता, प्रशासन एवं सेवा विनियमावली, 2016 के विनियम–10(च) में यह व्यवस्था दी गई है, कि सहायता प्राप्त मदरसों में विद्यार्थियों से कोई शुल्क नही लिया जायेगा"** किन्तु परिषद के अधीन मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों के विद्यार्थियों से शुल्क लेने अथवा न लेने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्राविधान नही है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत शुल्क विनियमन के सम्बन्ध में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दिनांक 03.02.2021 को दी गई सहमति के आधार पर परिषद से मान्यता प्राप्त गैर सहायतित मदरसों के शुल्क विनियमन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रत्येक मदरसे की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अपने आगामी शैक्षिक सत्र हेतु छात्र–छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की संरचना का अनुमोदन किया जायेगा।
2. मदरसे की शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी होगी।
3. शुल्क संरचना का निर्धारण करते समय क्षेत्रीय असमानता, आर्थिक विषमता तथा संस्था की अवसंरचना एवं शैक्षिक स्तर इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाय।
4. शुल्क के विभिन्न घटकों यथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, संयुक्त वार्षिक शुल्क विकास शुल्क इत्यादि का स्पष्ट प्राविधान शुल्क संरचना में किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर

Scanned with CamScanner

5. प्रत्येक छात्र से उद्ग्रहीत शुल्क के लिए रसीद भी दी जायेगी।

6. छात्रावसीय शुल्क का निर्धारण शैक्षिक कक्षाओं से पृथक मानकानुसार छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने की दशा में किया जाय।

7. प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना शिक्षा सत्र के पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

8. यदि प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना पर किसी को कोई आपत्ति होती है, तो वह प्रदेश में पूर्व से लागू उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियम) अधिनियम 2018 के अध्याय–दो की धारा–8 के अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति में अपील कर सकता है।

उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाय।

भवदीय

(आर0पी0 सिंह)
रजिस्ट्रार / निरीक्षक

<u>पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद / निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त उप निदेशक / मण्डलीय, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

04/02/21

(आर0पी0 सिंह)
रजिस्ट्रार / निरीक्षक

Scanned with CamScanner